न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, श्रावस्ती।

एस0टी0 नम्बर 33/2022
राज्य––प्रति–– बित्तन उर्फ बड़ेलाल

<u>दिनांक 01–04–2026</u>

पत्रावली पेश हुई।

पत्रावली साक्ष्य अन्तर्गत 299 सीआर0पी0सी0 नियत है। अभियोजन द्वारा इस स्तर पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा न ही कोई स्थगन प्रस्तुत किया गया है। अतः अभियोजन साक्ष्य अन्तर्गत 299 सीआर0पी0सी0 समाप्त किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि अभियुक्त बित्तन उर्फ बड़ेलाल के विरूद्ध न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशिकाऐं एन0बी0डब्लू0/82/83 सीआर0पी0सी0 की कार्यवाही सम्पन्न होने के उपरान्त उसे फरार घोषित किया गया था। अतः निकट भविष्य में अभियुक्त की उपस्थिति की सम्भावना न होने के कारण पत्रावली में अग्रेतर कार्यवाही किया जाना औचित्यहीन है। अतएव कार्यवाही अन्तर्गत धारा 299 सीआर0पी0सी0 समाप्त की जाती है। अभियुक्त के विरूद्ध स्थाई एन0बी0डब्लू0 वारण्ट बनाकर सम्बन्धित थाना/पुलिस अधीक्षक को इस आशय के साथ प्रेषित की जाये कि भविष्य में जब कभी अभियुक्त गिरफतार हो तो उसे न्यायालय मे उपस्थित करेंगे। तदोपरान्त पत्रावली नियमानुसार इस निर्देश के साथ दाखिल दफतर हो कि पत्रावली नष्ट नहीं की जायेगी।

अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
श्रावस्ती।